

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2005 – ज्येष्ठ 10, शक 1927

पुनरीक्षित विनियम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक 1/सी.एस.ई.आर.सी./2004 – विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, उसे उक्त अधिनियम में सौंपे गये कार्य के सम्पादन हेतु निम्नानुसार कार्यसंचालन विनियम बनाता है ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004

अध्याय – I: सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

- (1) इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।
- (2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
- (3) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
- (ए) “मंडल” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल।
- (बी) “केन्द्रीय अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36)।
- (सी) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष।
- (डी) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
- (ई) “सदस्य” से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है।
- (एफ) “अधिकारी” से अभिप्रेत है आयोग का कोई अधिकारी।
- (जी) ‘याचिका’ से अभिप्रेत है, और इसमें शामिल हैं समस्त याचिकाएं, आवेदन, शिकायतें, अपीलें, उत्तर, प्रत्युत्तर एवं अनुपूरक अभिवचन।
- (एच) ‘कार्यवाहियों’ से अभिप्रेत है समस्त प्रकार की कार्यवाहियाँ, जिन्हें आयोग केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रारम्भ करने, अथवा धारण करने का विनिश्चय करे किन्तु इसमें ऐसी कोई प्रारंभिक बैठक या कोई अन्य कार्य शामिल नहीं होगा जो कि इस प्रकार की कार्यवाही के प्रारम्भ करने के पूर्व किया गया हो।
- (आई) ‘प्राप्तकर्ता अधिकारी’ से अभिप्रेत है आयोग द्वारा याचिकाओं को प्राप्त करने हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी।
- (जे) “सचिव” से अभिप्रेत है आयोग का सचिव।
- (के) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम में है।

3. आयोग का कार्यालय, कार्यालय समय तथा बैठकें

- (1) आयोग के कार्यालय (कार्यालयों) का स्थान वह होगा जो आयोग समय-समय पर तत्संबंधी आदेश के द्वारा, विनिश्चित करें।
- (2) जब तक अन्यथा निदेशित न किया जावे, आयोग का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय, प्रत्येक माह के दूसरे और तीसरे शनिवार, रविवार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाशों को छोड़कर, प्रतिदिन खुले रहेंगे।
- (3) आयोग का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय ऐसे समयों पर खुलेंगे जैसा कि आयोग निर्देशित करें।
- (4) मामलों की सुनवाई हेतु, आयोग मुख्यालय पर, अथवा किसी अन्य स्थान पर, उसके द्वारा विनिश्चित दिन एवं समय पर बैठकें कर सकेगा।
- (5) यदि किसी कार्य को करने का अंतिम दिन ऐसा दिन हो जिस दिन आयोग का कार्यालय बंद हो और इस कारण से उस दिन वह कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सका हो तो वह कार्य उस अगले दिन किया जा सकेगा जिस दिन आयोग का कार्यालय खुला हो।

4. आयोग की भाषा

- (1) आयोग की कार्यवाहियाँ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में संचालित की जावेगी।
- (2) आयोग द्वारा हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी भाषा में कोई भी याचिका, दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री तब तक स्वीकार नहीं की जावेगी जब तक कि उसके साथ उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद संलग्न न किया जाए।
- (3) कोई अनुवाद, जिस पर कार्यवाही के पक्षकारों की सहमति हो, अथवा जिसे किसी भी एक पक्षकार ने हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाणिकता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया हो, आयोग द्वारा सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

5. आयोग की मुद्रा

- (1) आयोग की एक पृथक मुद्रा होगी।
- (2) आयोग द्वारा जारी किये गये प्रत्येक आदेश, निर्णय या संव्यवहार, सूचना या प्रमाणित प्रतिलिपि पर आयोग की मुद्रा अंकित की जावेगी तथा उसे सचिव अथवा इस हेतु आयोग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जावेगा।

6. आयोग के अधिकारी

- (1) आयोग, अपने विभिन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु, सचिव एवं अन्य ऐसे अधिकारियों, जो आवश्यक हों, की नियुक्ति कर सकेगा। सचिव, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें वैसी होंगी, जैसी आयोग द्वारा अधिसूचित की जावे।
- (2) आयोग का सचिव, ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इन विनियमों द्वारा या अन्यथा आयोग द्वारा या अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों।
- (3) ऊपर उपखण्ड (1) के सामान्य प्रावधानों को प्रभावित किये बिना सचिव निम्नलिखित विशिष्ट कृत्यों का निर्वहन करेगा—
 - (i) वह आयोग से संबंधित समस्त याचिकाओं, अन्य आवेदनों अथवा संदर्भों को प्राप्त करेगा अथवा प्राप्त करवाएगा,
 - (ii) वह आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त ऐसे आवेदनों का सार और संक्षेपिकाएं तैयार करेगा या करवाएगा,
 - (iii) वह आयोग द्वारा संचालित कार्यवाहियों में उसे सहयोग करेगा,
 - (iv) वह आयोग द्वारा पारित किए आदेशों को अभिप्रमाणित करेगा,
 - (v) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, एवं
 - (vi) उसे, आयोग के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उपयोगी समझी जाने वाली जानकारी को राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार एवं उनकी एजेन्सियों, राज्य विद्युत मंडल एवं उसकी उत्तराधिकारी इकाईयों या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों एवं फर्मों या किसी व्यक्ति से, जैसा कि आयोग का निदेश हो, एकत्रित करने का अधिकार होगा।
- (4) सचिव, आयोग की मुद्रा एवं अभिलेख अपनी अभिरक्षा में रखेगा।
- (5) सचिव, आयोग के अनुमोदन से, आयोग के किसी अन्य अधिकारी को, इन विनियमों द्वारा या अन्यथा उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने हेतु अपेक्षित किसी कार्य को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (6) सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा इस हेतु नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, सचिव के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (7) आयोग किसी हितबद्ध या प्रभावित पक्षकार के आवेदन पर, या स्वप्रेरणा से, यदि ऐसा करना वह उचित समझे, सचिव या आयोग के अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, परिशोधन, रूपांतरण, संशोधन, परिवर्तन या अन्यथा बदलाव कर सकेगा।

- (8) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 97 के उपबंधों के अधीन, आयोग अपने अधिकारियों को, ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, किन्हीं कार्यों, जिनमें सचिव द्वारा निर्वहित कृत्य भी शामिल है, को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय—II: आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियों से संबंधित सामान्य नियम

7. आयोग के समक्ष कार्यवाही

- (1) (ए) आयोग, समय-समय पर ऐसी कार्यवाहियां, बैठकें, विचार विमर्श, परामर्श, जांच और अनुसंधान कर सकेगा जैसा वह केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।
- (बी) केन्द्रीय अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बने नियमों एवं विनियमों के अधीन आयोग की बैठक हेतु दो का कोरम होगा, किन्तु आयोग, लिखित आदेश द्वारा ऐसे मामलों को निर्धारित कर सकेगा जिनकी सुनवाई एक सदस्य द्वारा की जा सकेगी।
- (सी) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 143 अथवा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की उपधारा 27 के अधीन अपने किसी सदस्य को न्याय निर्णयन अधिकारी के रूप में लिखित आदेश के द्वारा नियुक्त कर सकेगा।
- (2) आयोग किसी अधिकारी, या अन्य व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, अपने समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने और कार्यवाहियों में अपनी सहायता करने हेतु नियुक्त कर सकेगा।
- (3) ऐसे समस्त विषय, जिन्हें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा सुनवाई के माध्यम से लिया जाना एवं निपटाना अपेक्षित हो, उक्त अधिनियम एवं उन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से सुनवाई के द्वारा ही निपटाये जायेंगे।
- (4) जब तक आयोग द्वारा, लिखित कारणों से, अन्यथा, निदेशित न किया गया हो, ऐसे समस्त विषय, जो अनुज्ञप्तिधारी या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के अधिकारों एवं हितों को प्रभावित करते हों, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से सुनवाई हेतु लिये जायेंगे व निपटाये जायेंगे।
- (5) आयोग, ऊपर उप विनियमों (3) एवं (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न विषयों पर भी सुनवाई कर सकेगा यदि वह ऐसा करना उचित समझे।
- (6) आयोग, किसी मामले की कार्यवाही शुरू करने के विनिश्चय के पूर्व, पक्षकारों में से एक या अधिक से विचार-विमर्श कर सकेगा।

8. आयोग के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होंगे

- (1) कोई व्यक्ति, आयोग के समक्ष, स्वयं उपस्थित हो सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को, अपनी ओर से उपस्थित होकर कार्यवाही करने या पैरवी करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।
- (2) कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा, समय-समय पर प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु, निदेशित किये जाने पर, अपनी ओर से कार्यवाही करने एवं पैरवी करने हेतु, किसी अधिवक्ता या विधिक व्यवसाय करने वाली संस्था के किसी सदस्य, जो विधिक व्यवसाय हेतु प्रमाण पत्र धारित करता हो, को प्राधिकृत कर सकेगा।
- (3) आयोग, समय-समय पर, ऐसी शर्तों और निबंधनों को निर्धारित कर सकेगा, जिनके अधीन कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को उसका प्रतिनिधित्व और पैरवी करने और वकालत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग में प्रस्तुत किये जाने वाले अधिकार पत्र का प्रकार भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (4) ऊपर दिए गए प्रावधानों के होते हुए भी, आयोग, किसी उपभोक्ता समूह अथवा संस्था जो विनियम 47 (क) के अधीन मान्यता प्राप्त हो, अथवा किन्हीं व्यक्तियों को, जो ऐसे उपभोक्ता समूह अथवा संस्था द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए हों, आयोग के समक्ष किसी कार्यवाहियों में अथवा कार्यवाही प्रारंभ किए जाने से पूर्व किसी बैठक में, जैसा आयोग उचित समझे, उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

9. कार्यवाहियों का प्रारम्भ :

- (1) आयोग स्वविवेक से, या किसी प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, प्रस्तुत याचिका के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।
- (2) आयोग की कार्यवाही का प्रारम्भ, आयोग के कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र द्वारा होगा। आयोग, द्वारा प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की तामीली हेतु और याचिका के विरोध या समर्थन में उत्तर और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने एवं ऐसे प्रारूप में करने हेतु आदेश और निर्देश दे सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- (3) आयोग, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, याचिका को समाचार पत्र या माध्यमों से प्रचारित कर, उसमें शामिल मुद्दों पर, उस प्रारूप में, जैसा कि वह निर्देश दे, टिप्पणियाँ आमंत्रित कर सकेगा।
- (4) स्वविवेक से की जाने वाली कार्यवाहियों एवं अन्य समुचित प्रकरणों में नोटिस जारी करते समय, आयोग, किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को याचिकाकर्ता की हैसियत से विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु नामांकित कर सकता है।

10. आयोग के समक्ष याचिकाएँ :

- (1) सभी याचिकाओं में तथ्यों के स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण के साथ तथ्यात्मक विशिष्टियां, चाहा गया अनुतोष, लागू विधि के उपबंध और ऐसे अनुतोष के आधार, अंतर्विष्ट होंगे।
- (2) आयोग के समक्ष प्रस्तुत सभी याचिकाएं सफेद कागज पर टंकित, सायक्लोस्टाईलड अथवा स्वच्छ तथा पढ़े जाने योग्य मुद्रित होंगी और सभी पृष्ठ क्रम से संख्यांकित किये जाएंगे। याचिका छह प्रतियों या जैसा आयोग निर्देश दे उतनी प्रतियों सहित प्रस्तुत की जावेगी और ऐसी समस्त प्रतियां सभी प्रकार से पूर्ण होंगी। आयोग प्रस्तुत की जाने वाली याचिका के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक प्रारूप में प्रतियां, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी कि आयोग विनिर्दिष्ट करे, मांग सकेगा।
- (3) याचिका की विषयवस्तु उचित रूप से क्रमवार संख्यांकित कंडिकाओं में विभाजित की जावेगी।
- (4) याचिका के साथ ऐसे दस्तावेज, सहायक आंकड़े एवं विवरण संलग्न किये जावेंगे जो बादग्रस्त विषय से सुसंगत हों।
- (5) आयोग द्वारा नियत शुल्क, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान याचिका प्रस्तुत करते समय या उससे पूर्व किया जावेगा।

11. सामान्य शीर्षक :

आयोग के समक्ष सभी याचिकाओं और सभी विज्ञापनों और नोटिस का सामान्य शीर्षक इन विनियमों के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 1 में होगा।

12. समर्थन में शपथ-पत्र :

- (1) दायर प्रत्येक याचिका शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित की जाएंगी और शपथ-पत्र इन विनियमों के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 2 में होगा।
- (2) प्रत्येक शपथ-पत्र प्रथम पुरुष में लिखा जावेगा और उसमें शपथ लेने वाले व्यक्ति पूरा नाम, आयु, व्यवसाय, पता (इसमें इसके पश्चात शपथकर्ता कहा गया है) और वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा होगा और वह विधिक रूप से शपथ-पत्र लेने और प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा और शपथ लेगा।
- (3) प्रत्येक शपथ पत्र में साफ तौर पर और विशिष्टतया निम्नलिखित तथ्यों का सत्य होना दर्शित किया जाएगा –
 - (i) शपथकर्ता की जानकारी, और/या

- (ii) शपथकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना, या
 - (iii) शपथकर्ता का विश्वास।
- (4) जब किसी शपथ पत्र में किसी कथन को शपथकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सत्य पर आधारित कहा गया है, शपथ पत्र में सूचना के स्रोत का खुलासा भी किया जाएगा और यह तथ्य भी होगा कि शपथकर्ता को सूचना के सत्य होने का विश्वास है।

13. याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण और छानबीन इत्यादि

- (1) सभी याचिकाएं याचिकाकर्ता द्वारा या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट या प्रतिनिधि द्वारा, प्राप्तिकर्ता अधिकारी को मुख्यालय पर अथवा ऐसे अन्य स्थान/स्थानों पर ऐसी समयावधि में जैसे कि आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाएं, प्रस्तुत की जाएंगी। याचिकाएं उपरोक्त उल्लेखित स्थानों पर पंजीकृत डाक से अभिस्वीकृति कार्ड सहित भी भेजी जा सकेगी।
- (2) याचिका के साथ अधिवक्ता के पक्ष में जारी वकालतनामा और, यदि याचिका प्राधिकृत एजेंट या प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत की जाये, तो उस स्थिति में एजेंट या प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने संबंधी दस्तावेज संलग्न होना चाहिए।
- (3) याचिका प्रस्तुत किए जाने और प्राप्ति को, आयोग के कार्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए संधारित पंजी में विधिवत प्रविष्ट किया जावेगा।
- (4) याचिका प्राप्त होने पर प्राप्तिकर्ता अधिकारी मुहर लगाकर और वह तिथि जिसको याचिका प्रस्तुत की गई है पृष्ठांकित करके प्राप्ति की अभि-स्वीकृति देगा और याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को मुहर और तारीख के साथ अभि-स्वीकृति जारी करेगा। यदि याचिका पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होती है तो वह तारीख जिसको आयोग के कार्यालय में वस्तुतः याचिका प्राप्त होती है, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि मानी जावेगी।
- (5) प्राप्तिकर्ता अधिकारी किसी याचिका, जो केन्द्रीय अधिनियम या, इन विनियमों अथवा आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप न हो अथवा अन्यथा दोषपूर्ण हो अथवा जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत न किया गया हो, को स्वीकार करने से मना कर सकेगा:

परंतु, फिर भी, कोई याचिका अभिवचन या उसके प्रस्तुतिकरण में किसी दोष के कारण तबतक अस्वीकृत नहीं की जा सकेंगी, जब तक कि प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को निश्चित समयावधि के भीतर दोष दूर करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। प्राप्तिकर्ता अधिकारी सलाह लिखित रूप में, याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देकर, उसे याचिका के दोषों और उस समयावधि से, जिसके भीतर दोषों का निवारण करना है, अवगत करायेगा।

- (6) याचिका के प्रस्तुत किए जाने अथवा प्राप्त किए जाने के बारे में प्राप्तिकर्ता अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति मामले को समुचित आदेश के लिए सचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की प्रार्थना कर सकेगा।
- (7) अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका को किसी भी समय मंगाने और याचिका प्रस्तुत करने और स्वीकृत करने के संबंध में ऐसे निदेश देने का अधिकार होगा जैसा वह उचित समझे।
- (8) यदि छानबीन करते समय, याचिका अस्वीकार नहीं की जाती है या अस्वीकार किये जाने संबंधी आदेश, सचिव द्वारा या अध्यक्ष द्वारा या ऐसे प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा, संशोधित कर दिया जाता है, तब याचिका आयोग द्वारा निदेशित रीति में विधिवत पंजीबद्ध की जावेगी तथा उसे एक संख्या प्रदान की जावेगी।
- (9) जैसे ही याचिका और समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उनमें रह गए दोष और आपत्तियां, यदि कोई हो, दूर कर दी जाती है और याचिका की छानबीन कर उसे स्वीकृत और क्रमांकित कर दिया जाता है तो याचिका प्रारंभिक विचारार्थ आयोग के समक्ष रखी जावेगी।
- परन्तु, ऐसे मामलों में जब याचिका उपभोक्ताओं द्वारा या उपभोक्ताओं के समूह द्वारा अथवा किसी उपभोक्ताओं के संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उनमें आयोग का सचिव, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42 (5) में निहित शर्तों के अधीन उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के प्रयोजन हेतु गठित फोरम को मामला संदर्भित कर सकता है।
- (10) आयोग, याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी याचिका को सुनवाई के लिए ग्राह्य कर सकता है। किन्तु आयोग संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ग्राह्यता से इंकार करने हेतु आदेश पारित नहीं करेगा। आयोग यदि उपयुक्त समझे, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी जिन्हें वह याचिका ग्राह्य करने के लिए सुनने की अपेक्षा करें, सूचना जारी कर सकेगा।
- (11) यदि आयोग याचिका ग्राह्य करता है तो वह उत्तरदाताओं एवं अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को याचिका के समर्थन या विरोध में उत्तर या प्रत्युत्तर आयोग द्वारा निदेशित ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस तामिली के लिए ऐसा आदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह उचित समझे।

14. आयोग द्वारा जारी सूचना और आदेशिकाओं की तामील –

- (1) आयोग द्वारा जारी की जाने वाली सूचना या आदेशिका की तामील निम्नलिखित एक या एकाधिक प्रकार से जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए, की जा सकेगी –
 - (i) याचिकाकर्ता या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा तामीली,
 - (ii) संदेशवाहक द्वारा हाथ में सौंप कर,
 - (iii) अभि-स्वीकृति पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा,
 - (iv) ऐसे मामलों में जहां आयोग संतुष्ट है कि ऊपर (एक) से (तीन) में उल्लिखित तरीकों से सूचना, आदेशिका आदि की तामील, किसी व्यक्ति पर करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है, वहां समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा।
 - (v) कूरियर सेवा द्वारा
 - (vi) फैंक्स या ई-मेल द्वारा, और,
 - (vii) तामीली के अन्य ऐसे तरीकों द्वारा, जैसा कि आयोग समय-समय पर विनिश्चय करे।
- (2) प्रत्येक सूचना या आदेशिका जिसकी किसी व्यक्ति पर तामील की जाना या सौंपना अपेक्षित हो उस व्यक्ति द्वारा तामीली हेतु दिए गए पते पर उसी व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता (एजेंट) को, जो कि तामील प्राप्त करने के लिए अधिकृत है अथवा उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता सामान्यतः रहता है या व्यापार करता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है, भेज कर की जा सकेगी।
- (3) ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकरण आयोग के समक्ष लंबित है तथा जिस व्यक्ति को सूचना भेजा जाना है, उसने उपस्थित होने के लिए या प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी अभिकर्ता या प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर दिया है, तो ऐसा अभिकर्ता या प्रतिनिधि सभी मामलों में उस व्यक्ति की ओर से सूचना तथा आदेशिका स्वीकार करने के लिए विधिवत प्राधिकृत माना जावेगा तथा प्रतिनिधि को सौंपा गया सम्मन एवं आदेशिका उसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से सौंपा हुआ माना जावेगा जिसे सौंपा जाना था। यह ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, सूचना के तामील होने की विधिवत जानकारी दे।

- (4) जब कार्यवाही के किसी पक्ष द्वारा व्यक्तिशः या पंजीबद्ध डाक से सूचना अथवा आदेशिका की तामील की गई हो तो उस पक्ष को आयोग के समक्ष सूचनाएं या आदेशिकाएं की तामील होने के दिनांक और तरीकों के ब्यौरों, ऐसी तामील के प्रमाण सहित एक शपथ पत्र देना होगा।
- (5) जब किसी याचिका का समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, तब वह ऐसे समय के भीतर जैसा आयोग निदेश दे और जब तक आयोग अन्यथा निदेश न दे, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों में प्रसारित अंग्रेजी भाषा और हिन्दी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में, से प्रत्येक भाषा के कम से कम एक संस्करण में प्रकाशित की जायेगी।
- (6) ऐसे प्रत्येक मामले में आयोग को यह तय करने का अधिकार होगा कि ऐसे तामील या प्रकाशनों का व्यय कौन व्यक्ति वहन करेगा।
- (7) केन्द्रीय अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय और आयोग या सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अधीन, याचिकाकर्ता, प्राथी या आयोग द्वारा जबावदेह बनाया गया अन्य कोई भी व्यक्ति, जिसे आयोग निर्देश दें, समस्त सूचना पत्रों, सम्मनों तथा दूसरी आदेशिकाओं को भेजे जाने की तथा संबंधित पक्षों को तामील किये जाने वाली सूचनाओं और आदेशिकाओं के विज्ञापन व प्रकाशन की व्यवस्था करेगा।
- (8) नोटिस, सम्मन या आदेशिकाओं की तामील अथवा विज्ञापन तथा प्रकाशन के संबंध में आयोग के निर्देशों या विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में चूक होने पर, आयोग या तो याचिका को निरस्त कर सकता है या ऐसे अन्य या अतिरिक्त निर्देश दे सकता है, जो उसे उपयुक्त लगें।
- (9) कोई तामील या प्रकाशन, जो किया जाना आवश्यक हो, संबंधित व्यक्ति के नाम या ब्यौरे में रह गई किसी त्रुटि के कारण अवैध नहीं माना जाएगा, यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी तामील अन्य सभी दृष्टियों से पर्याप्त है।
- (10) कोई कार्यवाही किसी तामिली की त्रुटि या अनियमितता के कारण अवैध करार नहीं की जाएगी, जब तक कि आयोग उठाई गई आपत्ति के संदर्भ में, यह राय नहीं बना लेता, कि उस त्रुटि या अनियमितता या प्रकाशन के कारण अन्याय हुआ है या ऐसा करने का अन्यथा पर्याप्त कारण है।

15. उत्तरों, विरोधों, आपत्तियों, इत्यादि को प्रस्तुत करना

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे जांच या याचिका के बारे में सूचना-पत्र जारी किया गया हो (जिसे आगे 'प्रतिवादी' कहा गया है) अपना उत्तर उन दस्तावेजों सहित, जिन पर वह आधारित है, उतनी संख्या में प्रतिलिपियों सहित तथा उस समय सीमा में प्रस्तुत करेगा जितनी आयोग द्वारा निदेशित की जावे।

- (2) अपने उत्तर में उत्तरदाता जांच के लिए जारी सूचना-पत्र अथवा याचिका में उल्लिखित तथ्यों के बारे में विशिष्ट रूप से स्वीकृति, अस्वीकृति या स्पष्टीकरण देगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्य भी प्रस्तुत कर सकेगा, जिन्हें वह मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक समझता है।
- (3) उत्तर उसी तरह से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं शपथ-पत्र से समर्थित होगा, जिस तरह याचिका में किया जाता है। प्रतिवादी उत्तर में यह भी उपदर्शित करेगा कि क्या वह कार्यवाहियों में भाग लेना चाहता है और उसे मौखिक रूप से सुना जावे।
- (4) प्रतिवादी, उत्तर की प्रति, दस्तावेजों की सम्यक् रूप से प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों सहित, याचिकाकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील करेगा तथा उत्तर प्रस्तुत करते समय आयोग के कार्यालय में ऐसी तामिली के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- (5) प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए, जब कोई प्रतिवादी अतिरिक्त तथ्य अभिकथन करता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर के संदर्भ में याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में भी, उत्तर प्रस्तुत करने के लिए ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तित रूप में, लागू होगी।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष लंबित मामले में किये गये प्रकाशन के अनुसरण में कोई आपत्ति या टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहता है, उसे (उन व्यक्तियों को छोड़कर, जिन्हें उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सूचना, आदेशिकाएं, इत्यादि जारी किये गये हैं) प्राप्तकर्ता अधिकारी को, आवश्यक दस्तावेज तथा प्रमाणों की प्रतिलिपियों सहित आपत्तियों या टिप्पणियों का अभिकथन, इस हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर, प्रस्तुत करना होगा।
- (7) आयोग उचित समझने पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अनुमति दे सकता है यदि वह प्राप्तकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहभागिता मामले और कार्यवाहियों के उचित निराकरण हेतु आवश्यक समझता है।
- (8) जब तक आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। तथापि आयोग ऐसी प्रस्तुत आपत्तियों और सुझावों को कार्यवाहियों से संबद्ध पक्षकारों को उन पर सुनवाई हेतु अवसर देकर, विचार में ले सकेगा यदि आयोग ऐसा करना उचित समझे।

16. मामले की सुनवाई

- (1) आयोग मामले की सुनवाई के अनुक्रम, रीति, स्थान, दिनांक तथा समय का निर्धारण कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे, जो केन्द्रीय अधिनियम में की

गई समय की अपेक्षाओं से संगत हों, या अन्यथा मामले के त्वरित गति से निपटारें के लिए आवश्यक हो।

- (2) आयोग, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर मामले का में निर्णय कर सकेगा या पक्षकारों से शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने या अन्यथा मामले में मौखिक साक्ष्य देने के लिए कह सकेगा।
- (3) यदि आयोग किसी पक्ष से शपथ पत्र पर साक्ष्य देने का निदेश करता है, तो आयोग दूसरे पक्ष को शपथ-पत्र के शपथकर्ता का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान कर सकेगा।
- (4) यदि आयोग को यह आवश्यक या युक्तियुक्त लगे तो वह पक्षकारों में से किसी का साक्ष्य किसी अधिकारी द्वारा या इस कार्य के लिए आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अभिलिखित करवाने के निदेश दे सकेगा।
- (5) आयोग पक्षकारों को उसके समक्ष किसी कार्यवाही में लिखित तर्क या निवेदन लिखित में जैसे आयोग उचित समझे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।

17. साक्ष्य, जानकारी, इत्यादि तलब करने के आयोग के अधिकार

- (1) किसी भी मामले में आदेश पारित करने के पूर्व आयोग पक्षकारों को या उनमें से किसी एक या एकाधिक पक्षकारों को या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग उपयुक्त समझता है, ऐसे दस्तावेज या अन्य सामग्री जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिन्हें आयोग आदेश पारित करने के लिए आवश्यक समझता है।
- (2) किसी मामले में यदि आयोग को यह सुसंगत लगता है तो आयोग गवाहों को तलब करने, साक्ष्य के लिए सहायक किन्हीं भी दस्तावेजों या वस्तुओं या प्रस्तुति योग्य अन्य सामग्री प्रस्तुत की खोज और उन्हें प्रस्तुत करने के आदेश दे सकता है एवं किसी भी कार्यालय से लोक अभिलेख की मांग कर सकता है। आयोग अपने किसी अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा में या नियंत्रण वाली पुस्तकों, खातों या अन्य दस्तावेजों या जानकारियों की छानबीन कराने के आदेश दे सकता है।
- (3) आयोग यदि उचित समझे, किसी पक्षकार को या उल्लेखित अन्यो को मामले में अतिरिक्त साक्ष्य, जैसा ऊपर विनियम (1) और (2) के अधीन साक्ष्य में अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के लिए देना आवश्यक हो, मंगा सकेगा।
- (4) आयोग किसी भी समय किसी व्यक्ति को शपथ पर परीक्षण हेतु समंस या बल द्वारा उपस्थित करा सकता है।
- (5) आयोग शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य ले सकता है।

18. वादविषयों का अन्य को संदर्भ

- (1) आयोग, कार्यवाहियों के किसी भी चरण में आयोग ऐसे किसी भी मुद्दे या मुद्दों को, जिन्हें वह उचित, समझता है, अपने अधिकारियों एवं कंसलटेंट अथवा उन तक सीमित न होते हुए किन्हीं भी व्यक्तियों को, जिन्हें आयोग विशेषज्ञ-सलाह या अभिमत के लिए दक्ष समझता है, संदर्भित कर सकेगा।
- (2) आयोग, समय-समय अपने अधिकारियों को एवं कंसलटेंट को अथवा उन तक सीमित न होकर किसी भी व्यक्ति को, इस बात के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकता है कि वे किसी भी स्थान/ स्थानों का दौरा करके निरीक्षण करें तथा स्थान के अस्तित्व या स्थिति का और वहां उपलब्ध सुविधाओं का प्रतिवेदन दें।
- (3) यदि वह उपयुक्त समझता है तो आयोग, संबंधित पक्षकारों को या अन्यो को उपरोक्त उप विनियम (1) या (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होकर ऐसे व्यक्तियों को संबंधित मामलों या मुद्दों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करने के लिए निदेशित कर सकता है।
- (4) ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन या अभिमत प्रकरण के अभिलेख का एक अंग होगा और कार्यवाहियों के पक्षकारों को ऐसे प्रतिवेदन या अभिमत की प्रतियां आयोग द्वारा दी जा सकेगी। पक्षकारों को यह अधिकार होगा कि वे प्रतिवेदन या अभिमत के विरोध या समर्थन में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें।
- (5) आयोग ऊपर लिखित व्यक्ति के प्रतिवेदन या अभिमत पर तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों पर मामले को विनिश्चय करते समय सम्यक् रूप से गौर करेगा और आवश्यक समझे जाने पर प्रतिवेदन या अभिमत देने वाले व्यक्ति का परीक्षण करेगा।
तथापि, ऊपर उपविनियमों के अधीन दी गई रिपोर्ट या अभिमत आयोग पर बंधनकारी नहीं होगा और आयोग ऐसा निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा जैसा वह उचित समझे।

19. किसी पक्ष के उपस्थित न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

- (1) यदि किसी मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख या समय पर या स्थगित कर दिए जाने पर दी गई अन्य किसी तारीख या समय पर, सुनवाई के समय याचिकाकर्ता या कोई अन्य पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग अपने स्वविवेक से या तो याचिकाकर्ता अथवा सुनवाई चाहने वाले पक्षकार के चूक के कारण याचिका को निरस्त कर सकता है या अनुपस्थित पक्ष के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए याचिका की सुनवाई एवं निराकरण कर सकता है।

- (2) कोई याचिका जब उपस्थिति में चूक के कारण निरस्त कर दी जाती है या एक पक्षीय निर्णित की जाती है तो व्यथित व्यक्ति यथास्थिति इस तरह निरस्त होने या एक पक्षीय कार्यवाही से 30 दिन के भीतर आदेश को वापिस लिए जाने हेतु आवेदन कर सकता है और आयोग ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझता हो, आदेश को वापिस ले सकता है, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि याचिका की सुनवाई के समय व्यथित व्यक्ति के उपस्थित न हो सकने के लिये पर्याप्त कारण था।

20. आयोग के आदेश

- (1) आयोग याचिका पर आदेश पारित करेगा और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (2) आदेश के समर्थन में आयोग द्वारा दिये गये कारण तथा असहमत सदस्य, यदि कोई हो तो, द्वारा दिये गये कारण आदेश का भाग होंगे और इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण हेतु और प्रतिलिपियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध होंगे।
- (3) आयोग को किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या मामले के दौरान कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश जो वह उचित समझे जारी करने का अधिकार होगा।
- (4) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किये जाएंगे और उन पर आयोग की मुद्रा अंकित होगी।
- (5) आयोग द्वारा जारी किए गए सभी अंतिम आदेश कार्यवाही के पक्षकारों को, सचिव के हस्ताक्षर से अथवा, अध्यक्ष या सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से संसूचित किये जावेंगे।

21. अभिलेखों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय

- (1) कार्यवाहियों के अभिलेख, अधिकार के रूप में, ऐसे शुल्क के संदाय पर और ऐसी शर्तों, जैसी आयोग निदेश दे, के अनुपालन पर, कार्यवाहियों के दौरान, या आदेश पारित किए जाने के पश्चात, पक्षकारों के या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के, निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- (2) समस्त कार्यवाहियों के अभिलेख, केवल उन अंशों को छोड़कर जिनको आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकृत समझा गया है, याचिका में शामिल पक्षों से भिन्न व्यक्तियों के निरीक्षण के लिये आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन रहते हुए, जिसमें निरीक्षण का समय, स्थान और रीति तथा शुल्क का संदाय सम्मिलित है, कार्यवाहियों के दौरान अथवा आदेशों के पारित होने के बाद, उपलब्ध रहेगा।

- (3) कोई भी व्यक्ति, आयोग द्वारा दिये गये आदेशों, नियमों निर्देशों या उनके समर्थन में दिये गये कारणों, इसी प्रकार अभिवचनों, कागजातों या अभिलेखों के अन्य भागों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान करने और उस संबंध में आयोग द्वारा निर्देशित अन्य शर्तों के अनुपालन पर, प्राप्त करने का पात्र होगा।

अध्याय – III: विवादों की मध्यस्थता

22. मध्यस्थता

- (1) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन तथा आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विवादों का माध्यस्थता आयोग द्वारा, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा, आवेदन दिये जाने पर, प्रारंभ किया जा सकेगा।
- (2) आयोग संबंधित पक्षकारों को यह कारण बताओं सूचना जारी करेगा कि क्यों न पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा एवं न्याय निर्णय मध्यस्थता द्वारा किया जावे।
- (3) उन पक्षकारों, जिन्हें सूचना जारी की गई थी, को सुनने के बाद तथा यह संतुष्टि होने पर कि माध्यस्थता हेतु निवेदन के विरुद्ध कोई कारण नहीं दर्शाया गया है, आयोग आदेश पारित कर निर्देशित कर सकेगा कि विवाद को मध्यस्थता द्वारा न्याय निर्णय एवं निपटारे हेतु या तो आयोग द्वारा या आयोग द्वारा नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपा जावे।
- (4) प्रत्येक माध्यस्थता प्रक्रिया, माध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जायेंगी।

23. मध्यस्थ का नामांकन

- (1) यदि आयोग द्वारा मामले को मध्यस्थता हेतु आयोग के अलावा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संदर्भित करने का विनिश्चय किया जाता है तो
 - (ए) मामला एकल मध्यस्थ को संदर्भित किया जायेगा यदि विवाद से संबंधित पक्षकार एकल मध्यस्थ के नाम पर सहमत हो : या
 - (बी) यदि पक्षकार मध्यस्थ के नाम पर सहमत न हो तो मामला आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट एकल मध्यस्थ को या तीन मध्यस्थों को, जैसा कि आयोग विवाद की प्रकृति एवं मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित करे सौंपा जायेगा। यदि विवाद को तीन मध्यस्थों को संदर्भित किया जाता है तो एक-एक मध्यस्थ विवाद से संबंधित पक्षकारों द्वारा तथा तीसरा आयोग द्वारा नामांकित किया जावेगा। तीसरा मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

परन्तु यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ को नामांकित करने में असफल रहे या आयोग या पक्षकार द्वारा नामांकित मध्यस्थ अपने कार्य में असफल होते हैं अथवा कार्य की उपेक्षा करते हैं तो आयोग उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकेगा।

- (2) आयोग किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित नहीं करेगा जिसके प्रति मध्यस्थता के किसी पक्षकार को सम्भावित पूर्वाग्रह या ऐसे ही अन्य कारणों के आधार पर आपत्ती हो तथा आयोग आपत्ती को उचित मानता हो।

24. न्याय निर्णय, समझौता और अधिनिर्णय पारित करने की प्रक्रिया

- (1) यदि आयोग स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा हो तो कार्यवाही की प्रक्रिया यथासंभव वही होगी जैसी कि अध्याय-2 में आयोग द्वारा सुनवाई हेतु उपबंधित है।
- (2) यदि, आयोग द्वारा विवाद के न्याय निर्णयन तथा निराकरण हेतु मध्यस्थ या मध्यस्थों का नामांकन किया जाता है तो, वे विवाद के पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान करते हुए ऐसी प्रक्रिया, जिस पर वे सहमत हों तथा उनकी असहमति की दशा में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे, जिसे वे समुचित मानते हो और जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के सुसंगत हो, और वे, इस संबंध में आयोग द्वारा दिये गये विशिष्ट निर्देशों का भी अनुपालन करेंगे।
- (3) पक्षकारों को सुनने के उपरांत मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा जैसा भी प्रकरण हो, एक स्पष्ट अवार्ड मध्यस्थता के समस्त बिन्दुओं पर निर्णय के कारणों सहित पारित किया जायेगा तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में आयोग को अग्रेषित किया जायेगा।
- (4) आयोग द्वारा या मध्यस्थों द्वारा जैसा भी प्रकरण हो पारित अवार्ड मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम 1996 के अंतर्गत पारित अवार्ड माने जायेंगे।

25. मध्यस्थता तथा कार्यवाहियों का व्यय

आयोग के समक्ष मध्यस्थता एवं कार्यवाहियों के शुल्क एवं व्यय, ऐसे पक्षकारों द्वारा, एवं उतनी राशी के वहन किये जावेंगे जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित मात्रा में किया जावेगा।

अध्याय – IV: अनुज्ञप्ति

26. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत के पारेषण, वितरण या व्यापार के कारोबार में लगा हुआ है या लगने का इरादा रखता है, इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति से और निबंधनों एवं शर्तों के अधीन, जैसी कि आयोग द्वारा विहित की जाये, आयोग द्वारा समुचित अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आयोग को आवेदन करेगा।

27. अनुज्ञप्ति से छूट

(1) आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित किये जाने के सिवाय छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत प्रदाय में संलग्न निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में यह माना जावेगा कि वे, आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली इस हेतु कंडिका 2 एवं 3 में दिए गए आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हैं :

- (i) ऐसे व्यक्ति जो उनके स्वयं के द्वारा उत्पादित और/या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसे प्रदाय की गई विद्युत का प्रदाय उसके स्वामित्व के प्रणाली के माध्यम से ऐसे अवसर या कार्य के लिए करता है जो एक माह से अधिक अवधि का न हो ।
- (ii) ऐसे व्यक्ति जो आवासीय कालोनियों को, ऐसी कालोनियों के अनुरक्षण के उनके कार्य के भाग के रूप में जो उनके कर्मचारियों के, और/या ऐसे व्यक्तियों के जो कर्मचारियों को सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करते हैं, उपयोग एवं आधिपत्य में हैं, विद्युत प्रदाय करते हैं जहाँ ऐसा व्यक्ति, किसी अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेंसी) या किसी अन्य स्रोत से, जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, विद्युत प्राप्त करता है और उसका वितरण उन आवासीय कालोनियों के भीतर लाभ रहित आधार पर करता है ।
- (iii) ऐसे व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्त कर, उसे अपने कर्मचारियों की कालोनी को अनुषांगिक सुविधाओं सहित बिना लाभ के प्रदाय कर रहे हैं ।
- (iv) ऐसे व्यक्ति, जो अनुज्ञप्तिधारी से एक प्वाइंट पर विद्युत, एक घरेलू या व्यापारिक परिसर में प्राप्त कर रहे हैं, एवं उसी परिसर में, उसे, अन्य व्यक्तियों को बिना किसी लाभ के प्रदाय कर रहे हैं ।
- (v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें आयोग समय-समय आदेश द्वारा अधिसूचित करे एवं ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जिन्हें आयोग विनिर्दिष्ट करें ।

- (2) उपरोक्त कंडिका (1) के अनुसार एक अनुज्ञप्तिधारी –
- (i) संचालन के निर्धारित कार्य क्षेत्र के भीतर ही विद्युत लाईन या वर्क्स की स्थापना करेंगे तथा अपनी गतिविधियों को सीमित रखेंगे।
 - (ii) लागू होने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का, जो विद्युत संचालन में बचाव व सुरक्षा से संबंधित है, अनुपालन करेंगे।
- (3) आयोग द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों और निर्बन्धनों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –
- (i) प्रदान की गई छूट को जनता के ध्यान में लाने के लिए आवेदक द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जैसी कि आयोग समुचित समझें।
 - (ii) आयोग द्वारा चाहे जाने पर छूट प्राप्त व्यक्ति को, आयोग को, ऐसे समय के भीतर, जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोषण के लिए एक शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रस्तुत करनी होगी और उसका क्रियान्वयन ऐसे संशोधन के साथ करना होगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए।
 - (iii) छूट प्राप्त व्यक्ति आयोग को ऐसी वार्षिक फीस संदत्त करेगा जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।
 - (iv) छूट प्रदान करते समय आयोग ऐसी अन्य शर्तों को अधिरोपित करने का हकदार होगा जिन्हें वह उचित समझे। इनमें छूट के प्रतिसंहरण या उपांतरण की शर्तें सम्मिलित हैं।
 - (v) जब तक आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, छूट प्राप्त व्यक्ति, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जैसी कि आयोग द्वारा, अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से, उनसे अपेक्षित की जावे।
- (4) यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के रूप में इन विनियमों के अंतर्गत, विद्युत सप्लाई करने का पात्र है या नहीं, इसके बारे में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर, आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय – V: उत्पादन कंपनी एवं केपटिव उत्पादन गृह

28. उत्पादन कंपनियाँ तथा अन्य व्यक्ति, जिन्होंने, छत्तीसगढ़ राज्य में 'उत्पादन इकाईयों' स्थापित कर ली हों, जिसमें केपटिव उत्पादन इकाई भी सम्मिलित है, और वे व्यक्ति, जो 'उत्पादन इकाई' जिसमें 'केपटिव उत्पादन इकाई' भी सम्मिलित है, स्थापित करने की इच्छा रखते हैं वे आयोग को अपने 'उत्पादन इकाई' से संबंधित तकनीकी और अन्य सुसंगत विवरण, परिशिष्ट 3 ए और परिशिष्ट 3बी, में जो भी उन पर लागू हो,

इन विनियमों के अधिसूचित होने के 30 दिनों के भीतर, अथवा विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, देंगे। परंतु निम्न दाव उपभोक्ताओं के 'केप्टिव उत्पादन इकाईयों' को उपरोक्त विवरण देना आवश्यक नहीं है, जब तक कि आयोग अन्यथा, विशिष्ट रूप से निर्देशित न करे।

अध्याय—VI: विद्युत की प्राप्ति और क्रय

29. (1) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त के कारोबार के लिए अपेक्षित विद्युत, केन्द्रीय अधिनियम और अनुज्ञप्ति के उपबंधों के अनुसार सामान्यतः न्यूनतम मूल्य पर क्रय के सिद्धांत के आधार पर एक-मितव्ययी और दक्षता पूर्ण रीति में और एक पारदर्शी ऊर्जा क्रय उपार्जन प्रक्रिया के अधीन क्रय या प्राप्त करेगा।
- (2) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की गई विद्युत को आयोग द्वारा ऐसी शर्तों पर अल्पकालिक विद्युत क्रय या दीर्घकालिक विद्युत क्रय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए।
- (3) आयोग, समय-समय पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त व्यापार के लिए किये जाने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक विद्युत क्रयों को अधिशासित करने हेतु दिशा निर्देश आचार निर्देश और आदेश जारी कर सकेगा।
- (4) जब तक कि आयोग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा अनुमोदित न कर दिया जाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई दीर्घकालिक विद्युत क्रय या उपार्जन आयोग द्वारा अनुमोदित, संरचित प्रतियोगी उपार्जन प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।
- (5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को, अपने नियंत्रणाधीन वितरण प्रणाली, और, राज्य में पारिषण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्यो के साथ, आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत उपार्जन योजनाओं के अनुरूप, उपार्जित विद्युत के प्रवहण एवं वितरण हेतु किये गये प्रबंध की विस्तृत जानकारी देगा।
- (6) आयोग, संसाधन योजना, विद्युत क्रय तथा उपार्जन योजना, प्रवहण तथा वितरण व्यवस्था की योजना, प्रतियोगी उपार्जन प्रक्रिया एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय से संबंधित अन्य विषयों पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय ब्यौरों को दिशा निर्देशों एवं आचार निर्देशों में विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उसे समय-समय पर जारी कर सकेगा।
- (7) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की, इस विनियम और केन्द्रीय अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा बनाये जाने वाले शुल्क दर विनियम के अनुसार शुल्क दर निर्धारित करते समय आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, क्रय

तथा उपार्जन प्रक्रिया द्वारा विद्युत के लिए प्रदान किये गये अनुमोदन तथा उसमें निहित शर्तों एवं निबंधनों के परिपालन में, उसके द्वारा किये गये कार्यों को ध्यान में रखेगा ।

अध्याय – VII: टैरिफ

30. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण :

- (1) **आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर निम्नलिखित के लिये टैरिफ अवधारित करेगा:-**
 - (ए) किसी उत्पादन कम्पनी (केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण से भिन्न) द्वारा किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत का प्रदाय;
 - (बी) विद्युत का पारेषण;
 - (सी) विद्युत की व्हीलिंग; एवं
 - (डी) विद्युत का फुटकर विक्रय
- (2) केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अधधीन रहते हुए प्रत्येक पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी,, चालू अनुमोदित शुल्कदर (टैरिफ) के अधीन, आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल राजस्व की गणना तथा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की अनुमानित लागत अर्न्तविष्ट करते हुए एक विवरण, आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में,, प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर या आयोग द्वारा निर्देशित अन्य समयावधि में, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।
- (3) पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी अवधि के लिए जैसी कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तत् समय प्रचलित शुल्कदर से प्रत्याशित कुल राजस्व और सेवाओं की प्रत्याशित लागत के बीच के अंतर की पूर्ति के संबंध में, आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रस्ताव में नुकसान के स्तर में कमी करने की योजना, प्राप्त किये जाने वाले अन्य दक्ष प्रलाभ, प्रभारों में पुनरीक्षण और उपभोक्ताओं के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए टैरिफ संरचना में परिवर्तन सम्मिलित होगा ।
- (4) पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष ऐसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनकी राजस्व संगणना और टैरिफ प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के पश्चात समय-समय पर आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए ।
- (5) खण्ड (1) के अधीन आवेदन, आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

- (6) आयोग, केंद्रीय अधिनियम के भाग VII के प्रावधानों के अधीन, टैरिफ के निर्धारण की विस्तृत प्रक्रिया पृथक से निर्धारित करेगा ।

31. बहु-वर्षी टैरिफ सिद्धांत

- (1) आयोग, पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की राजस्व आवश्यकताओं की संगणना और टैरिफ अवधारण , जिसमें विनिधान के स्वरूप, हानि के स्तर में कमी के पहलू, उपार्जन किए जाने वाले अन्य दक्ष प्रलाभ, प्रभारों में पुनरीक्षण, टैरिफ संरचना में, परिवर्तन, लागत के चिन्हित अंश जो स्वीकार्य है, और ऐसे अन्य विषय जो आयोग द्वारा सामान्य अथवा विशेष निर्देश द्वारा निर्धारित किया जाय, सम्मिलित होंगे, से संबंधित मामलों के लिए बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत अंगीकार कर सकेगा ।
- (2) आयोग, एक से अधिक वर्ष के लिए, राजस्व संगणना का विवरण और टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में समय-समय पर मार्गदर्शी निर्देश जारी कर सकेगा ।

32. राज्य शासन से परिदान

- (1) यदि राज्य शासन किसी समय उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या वर्गों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी प्रकार का परिदान प्रस्तावित करती है तो आयोग ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात उस राशि का जो परिदान के रूप में होगी और उन निबंधनों और शर्तों जिस पर भुगतान किया जावेगा जिसमें परिदान के विनिश्चय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा परिदान राशि के भुगतान की रीति भी शामिल होगी, का निर्धारण करेगा ।
- (2) टैरिफ का निर्धारण करते समय आयोग परिदान की उस राशि को भी ध्यान में रखेगा जिसकी सहमति राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या वर्गों को देने हेतु दी गई है ।
- (3) आयोग, राज्य शासन के प्रस्तावित ऐसे परिदान को, जो आयोग के टैरिफ विनिश्चय दिनांक को था, ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किये गये टैरिफ का प्रकाशन करेगा ।
- (4) उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी राज्य शासन द्वारा जारी कोई निर्देश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार परिदान का भुगतान नहीं कर दिया जाता है एवं उक्त निर्देशों के निष्प्रभावी होने की दशा में, राज्य शासन से अपेक्षित परिदान की राशि संबंधित उपभोक्ताओं के वर्ग या वर्गों पर अधिरोपित टैरिफ में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जोड़ी जावेगी ।

- (5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आवश्यक होगा कि वह आयोग की संतुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा राज्य शासन से प्राप्त परिदान राशि को विधिवत हिसाब में ले लिया गया है और जिस प्रयोजन के लिए परिदान दिया गया है उसमें उपयोग किया गया है।

33. टैरिफ का पुनरीक्षण

- (1) उपरोक्तानुसार अधिसूचित शुल्कदर या उसका कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में, सामान्यतया एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकेगा, सिवाय उस दशा के जबकि आयोग द्वारा निर्धारित किसी ईंधन अधिभार सूत्र की शर्तों के अधीन किसी बदलाव को अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात किया गया हो, और ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है जो किन्हीं विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू हो।
- (2) राज्य सरकार द्वारा दिये गये परिदान के फलस्वरूप आयोग द्वारा जारी परिणामिक आदेश को अधिसूचित टैरिफ आदेश का संशोधन नहीं माना जाएगा। परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को बीजक देते समय परिदान रकम का समायोजन उस रीति से करेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

34. उत्पादन टैरिफ

- (1) आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादन कम्पनी से इन विनियमों के अध्याय-VI के अनुसार क्रीत एवं उपार्जित विद्युत के लिए टैरिफ का अनुमोदन कर सकेगा। ऐसे अनुमोदन के पश्चात उत्पादन कम्पनी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, उस टैरिफ पर विद्युत क्रय अनुबंध में निहित निबंधनों एवं शर्तों पर, जैसे कि आयोग द्वारा अनुमोदित की जावें, के अनुसार ऊर्जा विक्रय करने हेतु अधिकृत होगी।
- (2) उपरोक्त खण्ड (1) में समाविष्ट से भिन्न प्रकरणों में, उत्पादन कम्पनी अपने किसी उत्पादन केन्द्र द्वारा राज्य में ऊर्जा विक्रय हेतु टैरिफ निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष की 30 नवम्बर तक आयोग को आवेदन कर सकेगा जिसमें उत्पादन से संबंधित निश्चित एवं परिवर्तनीय लागतों का एवं उत्पादन केन्द्र से विद्युत के विक्रय का विस्तार से उल्लेख होगा।
- (3) उत्पादन कम्पनी खण्ड (2) के अंतर्गत किसी विशिष्ट खरीददार को विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एक से अधिक खरीददार या सामान्यतः ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों को, जो कि ऊर्जा क्रय करने के इच्छुक है और जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी हो सकता है, शामिल हो।

- (4) आयोग उत्पादन कंपनी के उत्पादन केन्द्र से विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ का निर्धारण कर सकेगा जिसके बाद उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत के विक्रय के लिए अनुबंध कर सकेगी।

परन्तु यह कि उत्पादन टैरिफ का निर्धारण उत्पादन कंपनी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लम्बी अवधि के आधार पर विद्युत के विक्रय हेतु अधिकृत नहीं करेगा सिवाए ऊर्जा क्रय या उपार्जन अनुबंध या उत्पादन के अनुसार जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अध्याय—VI के उपबंधों के अनुसार परिपूर्ण किया गया हो और उन शर्तों और निबंधनों के अनुसार जो आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए समय—समय पर निर्धारित किये जाते हैं।

परन्तु यह भी कि उत्पादन टैरिफ का निर्धारण उत्पादन कंपनी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लघुकालिक के आधार पर विद्युत विक्रय हेतु अधिकृत नहीं करेगा सिवाय इन विनियमों के अध्याय VI के अनुसार ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जैसा कि उस अध्याय के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित किया जावे।

35. विद्युत व्यवसायी के लिए टैरिफ

- (1) आयोग इन विनियमों के अध्याय—VI के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत व्यवसायी से विद्युत क्रय एवं प्राप्ति हेतु टैरिफ का अनुमोदन कर सकेगा और ऐसे अनुमोदन के पश्चात विद्युत व्यवसायी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे टैरिफ और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विद्युत क्रय अनुबंध में निहित हो और जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, विद्युत विक्रय हेतु अधिकृत होगा।
- (2) आयोग समय—समय पर विद्युत व्यवसायी के लिए राज्य में विद्युत व्यवसाय में लाभ की सीमा निर्धारित कर सकेगा।
- (3) विद्युत व्यवसायी के लिए उपरोक्त सीमा का निर्धारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत क्रय हेतु अधिकृत नहीं करेगा। क्रय इन विनियमों के अध्याय VI के उपबंधों के अनुसार ही किया जा सकता है और यह भी कि ऐसा क्रय इस उद्देश्य हेतु आयोग द्वारा समय—समय पर बनाये गये निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगा।

अध्याय – VIII: पालन, मानक, कोड, प्रदाय विनियम आदि

36. निष्पादन, मानक, कोड, प्रदाय विनियम आदि

- (1) आयोग, समय-समय पर, अनुज्ञप्तिधारीयों और राज्य में कार्य कर रही उत्पादन कम्पनियों को ऐसी संहिता विरचित करने या अपनाने का निदेश दे सकेगा जो आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के उचित और दक्षतापूर्ण संचालन तथा राज्य में ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन के लिए समुचित समझता है।
- (2) आयोग अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कंपनियों द्वारा विरचित संहिता पर विचार-विमर्श करने के लिए ऐसे परामर्श और कार्यवाहीयों कर सकेगा, जिन्हें आयोग उचित समझता है।
- (3) आयोग, इस प्रकार विरचित की गई संहिताओं पर सलाह देने के लिए सलाहकारों एवं विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा।
- (4) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों द्वारा बनाए गए संहिता में ऐसे संशोधन करने का निदेश दे सकेगा जिन्हें आयोग उचित समझे।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों आयोग द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर आयोग, द्वारा किये गये निदेशों और आदेशों से संगत संहिताओं को क्रियान्वित करेंगे।
- (6) ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन में कार्य के मानकों को लागू करने के संबंध में आयोग की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बनाए जाने और क्रियान्वित की जाने वाली संहिताओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –
 - (i) ग्रीड संहिता;
 - (ii) वितरण (योजना एवं संचालन) संहिता;
 - (iii) वितरण (प्रदाय की शर्तों) संहिता;
 - (iv) उपभोक्ताओं से संबंधित संहिता जिसमें बिलों के भुगतान की प्रक्रिया की संहिता, सेवा के मानकों और गुणवत्ता की संहिता जिसमें उक्त मानकों और गुणवत्ता में असफलता के लिए जुर्मानों और शास्तियों भी हो, उपभोक्ता के अधिकार, अभिकथन और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया आदि सम्मिलित है;
 - (ई) बचाव और सुरक्षा संहिता;
 - (एफ) पारिषण पद्धति योजना और सुरक्षा मानक;
 - (जी) वितरण पद्धति योजना और सुरक्षा मानक;

- (एच) पारेषण प्रचालन मानक;
 (आई) वितरण प्रचालन मानक; और
 (जे) विद्युत के उपयोग और मांग पक्ष प्रबंधन पर संहिता
- (7) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियां विद्यमान मानकों संहिताओं को और प्रदाय की शर्तों का अनुसरण तब तक करेंगी जब तक कि इन विनियमों के अनुसार संहिता, मानक और प्रदाय की शर्तें न बन जाएं और न लागू न हो जाये :

अध्याय – IX: अन्वेषण, जांच, जानकारियों का संग्रहण आदि

37. जानकारियों का संग्रहण

- (1) आयोग केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में जानकारी एकत्रित करने, जांच, अन्वेषण, प्रवेश, खोज एवं जब्ती करने के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।
- (2) अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही कर सकता है :
- (i) आयोग, अपने किसी अधिकारी को अपनी ओर से किसी भी स्थान या भवन में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कर सकेगा, जहां केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जांच या न्यायनिर्णयन से संबंधित मामलों की विषयवस्तु से संबंधित दस्तावेज या अभिलेखों के विद्यमान होने के विश्वास योग्य कारण आयोग के पास हों, और इसके जब्त करने या इसके उद्धरण या प्रतिलिपियां वहाँ से लेने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।
- (ii) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 128 में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, आयोग, यह संतुष्टि होने पर कि अनुज्ञप्ति धारक या उत्पादन कम्पनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम या शर्त, केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधान या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों का पालन करने में असफल हो गई है, तो आयोग लिखित आदेश द्वारा किसी अन्वेषण प्राधिकारी को निर्देश देकर अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी के काम काज की जांच करा सकता है और उसका प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करने हेतु निदेशित कर सकता है। आयोग, इसके लिए, अनुज्ञप्तिधारक तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा अपनी पुस्तकों में रखे जाने योग्य न्यूनतम जानकारी, ऐसी जानकारी रखे जाने की रीति और जांच पड़ताल तथा सत्यापनों हेतु अपनाये जाने वाले तरीकों के संबंध में निर्देश दे सकेगा।

(iii) आयोग, किसी भी समय अपने कार्य सीमा के, किसी भी मामले के विषय में अध्ययन, जाँच-पड़ताल या जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपने सचिव या किसी एक या अधिक अधिकारियों या सलाहकारों या ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसे आयोग उपयुक्त समझता है, निर्देश दे सकेगा।

(iv) उपर्युक्त उद्देश्य से आयोग ऐसे अन्य कोई भी निर्देश दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझता हो, और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने या जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा तय कर सकेगा।

(v) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम में यथा उपबंधित लेखा पुस्तकों को, उसके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, किसी व्यक्ति को निर्देश जारी कर सकेगा, अथवा, अपनी ओर से ऐसे निर्देश जारी करने हेतु सचिव, या किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकेगा, और आयोग के किसी अधिकारी को, इसके लिए नाम निर्दिष्ट कर उसे उनका (लेखा पुस्तकों का) परीक्षण करने तथा उन्हें अपने पास रखने की अनुमति देगा।

(vi) आयोग, कोई भी सूचना, विवरण या दस्तावेज जिन्हें वह अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझता है, एकत्र करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा और केन्द्रीय अधिनियम में विहित तरीकों में से कोई तरीका या तरीके अपना सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(vii) यदि अभिप्राप्त ऐसा कोई प्रतिवेदन या जानकारी, अपर्याप्त या अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो आयोग, या सचिव या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी अतिरिक्त जांच, प्रतिवेदन या जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(viii) आयोग, ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और पूरक मामलों जो उपरोक्त के संबंध में सुसंगत समझे जाएं, पर गौर करने का निर्देश दे सकेगा।

- (3) केन्द्रीय अधिनियम एवं इन विनियमों के अंतर्गत कृत्यों एवं शक्तियों के निर्वहन में, आयोग, यदि उचित समझे, तो जांच की सूचना जारी करने तथा मामले में अध्याय-II में उल्लेखित रीति के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है।
- (4) जाँचकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर एवं अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी जैसा भी प्रकरण हो, को उक्त प्रतिवेदन के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, आयोग एक आदेश कर अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिवेदन से उदभूत किसी मामले के संबंध में ऐसा कार्य करे जैसा आयोग उपयुक्त समझे।

- (5) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी को, जैसा भी प्रकरण हो, युक्तियुक्त सूचना देकर, जांचकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग को, जो आयोग को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकाशित करा सकता है।
- (6) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी व उत्पादन कंपनी जांच प्राधिकारी के कृत्यों को सुगम बनाने हेतु इन विनियमों के परिशिष्ट-4 में निर्धारित सीमा तक तथा, उसमें अंतर्विष्ट रीति में अपनी किताबों में जानकारी रखेगा। आयोग जब भी उचित समझेगा परिशिष्ट-4 की अंतर्वस्तु को बढ़ा सकेगा, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा।
- (7) आयोग, किसी भी समय, किसी संस्था, सलाहकार, विशेषज्ञ, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, अधिवक्ता, सर्वेक्षक और ऐसे अन्य तकनीकी तथा व्यावसायिक व्यक्तियों की सहायता ले सकेगा, जिन्हें वह किसी जांच या अनुसंधान में आवश्यक समझे तथा ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त करने हेतु निबंधनों और शर्तों का निर्धारण कर सकेगा।
- (8) यदि उपरोक्त विनियमों के अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन या जानकारी या उसके किसी भी भाग के आधार पर आयोग द्वारा किन्हीं कार्यवाहियों में अपना मत या दृष्टिकोण बनाना प्रस्तावित है, तो कार्यवाहियों के पक्षकारों को प्रतिवेदन या जानकारी पर आपत्ति प्रस्तुत करने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

अध्याय – X: जुर्माना और प्रभार

38. जुर्माने और प्रभारों का अधिरोपण

- (1) यदि किसी प्रभावित पक्षकार से शिकायत अथवा आवेदन प्राप्त होने पर अथवा अपने स्वयं की पहल पर आयोग यह मत बना लेता है कि प्रथम दृष्ट्या किसी उत्पादन कम्पनी, अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अथवा उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं का अथवा आयोग के किन्हीं निदेशों या आदेशों का अपालन या उल्लंघन होता है, तो वह जुर्माने और प्रभारों के अधिरोपण की तथा प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।
- (2) यदि आयोग, प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर यह विनिश्चय करता है कि मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्ट्या हेतुक है तो इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति, जो कि उक्त अपालन या अधिक्रमण हेतु उत्तरदायी है, के विरुद्ध युक्तियुक्त समय के भीतर कारण दर्शित करने के लिए इस आशय का नोटिस जारी किया जाएगा कि क्यों न उस पर जुर्माना या

प्रभार अधिरोपित किया जाए। नोटिस में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथित अपालन या उल्लंघन के विशिष्ट संदर्भ में अभिकथन के सार का उल्लेख होगा।

- (3) उपस्थिति के लिए नोटिस में नियत की गई तारीख को आयोग द्वारा उस व्यक्ति को जो प्रथम दृष्टया अपालन या उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है या उसके प्रतिनिधि को उसके द्वारा अभिकथित रूप से किये गये अपालन और उल्लंघन का सारवान ब्यौरा बताया जाएगा।
- (4) जहां कोई व्यक्ति नोटिस के जबाव में उपस्थित होता है और लिखित में, ज्ञापन द्वारा आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है, वहां आयोग, प्रतिसाद अभिलिखित करेगा और केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तथा आयोग द्वारा विरचित विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपने विवेकानुसार जुर्माना या प्रभार अधिरोपित कर सकेगा और प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर भी प्रदान कर सकेगा।
- (5) यदि कोई व्यक्ति अभिकथित अपालन या उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता है और सुनवाई की मांग करता है तो आयोग केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों के अनुसार मामले की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा।
- (6) यदि कोई व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है, पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या किसी ऐसी पश्चातर्ती तारीख, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में प्रकरण में विवेकानुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा।
- (7) आयोग शिकायत को सुनने के लिए अग्रसर होगा और समस्त ऐसी साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी या शपथ पत्र के रूप में, जो कि प्रकरण के समर्थन में प्रस्तुत किये जाएं, और समस्त ऐसी साक्ष्य लेगा जो उसके बचाव में प्रस्तुत की जाए। जहां कार्यवाही आयोग द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर प्रारम्भ की गई हो, वहां वह अपने किसी भी अधिकारी को शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने एवं प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (8) आयोग को इन विनियमों के अधीन कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो साक्ष्य देने के लिए प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता हो, उसे उपस्थित रहने के लिए बाध्य करने या कोई दस्तावेज जो आयोग की राय में कार्यवाही की विषयवस्तु से सारवान या सुसंगत प्रतीत होता हो, प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति होगी।

39. जुर्माना और प्रभारों के आदेश और वसूली की प्रक्रिया

- (1) किसी कार्यवाही के समापन पर यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जुर्माने या प्रभारों का दायी है तो वह लिखित में आदेश द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों और इस प्रयोजन के लिए विरचित विनियमों के

अनुसार ऐसा जुर्माना या प्रभार अधिरोपित कर सकेगा जो उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट हो ,और प्रतिकर अधिनिर्णित करने का आदेश भी दे सकेगा ।

- (2) आयोग, जुर्माना या प्रभारों की मात्रा का अवधारण करते समय अन्य के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करेगा :-
 - (ए) अपालन या उल्लंघन की प्रकृति और विस्तार;
 - (बी) अपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त किये गये दोषपूर्ण अभिलाभ या अनुचित लाभ;
 - (सी) अपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कारित हानि या उत्पीड़न की मात्रा; एवं
 - (डी) अपालन या उल्लंघन की एकाधिक बार होने की प्रकृति ।
- (3) आयोग, इन विनियमों के अधीन आदेश पारित करते समय अपालन या उल्लंघन करते हुए पाये गये व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता या प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा ।
- (4) आयोग, संबंधित व्यक्ति द्वारा जुर्माना, प्रभार या प्रतिकर संदत किये जाने की समय सीमा निर्धारित कर सकेगा ।
- (5) जुर्माना और प्रभार वसूल करने के लिए आयोग किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

40. शिकायत को वापस लेना और उसका निपटारा

- (1) यदि कोई शिकायतकर्ता, किसी कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व किसी भी समय आयोग का समाधान कर देता है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध उसकी शिकायत को वापिस लेने के लिए उसे अनुमति प्रदान करने के पर्याप्त आधार है, तो आयोग उक्त शिकायत वापस लेने की अनुमति दे सकेगा। यदि उसमें एक से अधिक प्रत्यर्थी है तो आयोग उनमें से सभी या किसी के विरुद्ध शिकायत को वापिस लेने के लिए अनुमति दे सकेगा ।
- (2) यदि आयोग की राय में शिकायत को वापिस लेने के लिए अनुमति देना उचित नहीं होगा तो आयोग शिकायतकर्ता के अलावा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत को जारी रखने के लिए और ऐसी रीति में करने के लिए आदेश दे सकेगा जिसे आयोग उचित समझे ।
- (3) जहां आयोग की राय में इन विनियमों के अधीन कार्यवाही का जारी रहना अनावश्यक है या आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो वह किसी भी प्रक्रम पर उन कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए कार्यवाही को समाप्त कर सकेगा ।

अध्याय – XI: भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना

41. भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू होना

- (1) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 95 के निबंधनों के अनुसार आयोग के समक्ष कार्यवाहियों, न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएगी और आयोग भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के लागू होने वाले उपबंधों के साथ सहपठित उक्त धारा में यथा विनिर्दिष्ट, सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
- (2) भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों का सार इन विनियमों के परिशिष्ट-5 में दिया गया है।

अध्याय – XII: उपभोक्ता संरक्षण और परिवाद निराकरण की प्रक्रिया

42. उपभोक्ता संगठनों को मान्यता और उपभोक्ता के हित

- (1) किसी उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था अथवा निगमित निकाय जो मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक है, आयोग के समक्ष इस हेतु आवेदन कर सकता है और आयोग ऐसी जांच पड़ताल के बाद जो वह उपयुक्त समझे, मान्यता का प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित संस्था, या निगमित निकाय को मान्यता प्रदान कर सकता है।
- (2) आयोग, यदि उपयुक्त समझे तो वह मान्यता प्राप्त किसी संघ, मंच या अन्य निगमित निकाय या उपभोक्ताओं के किसी समूह को अपने समक्ष होने वाली किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने या भाग लेने की अनुमति दे सकता है।
- (3) आयोग को यह अधिकार होगा कि वह कार्यवाहियों को समय सीमा में पूरा करने के उद्देश्य से, ऊपर खण्ड (1) में बताए गए संघों, मंचों को समूह बनाने का निदेश दे ताकि वे आयोग के समक्ष सामूहिक प्रतिनिधित्व कर सकें।
- (4) यदि आयोग आवश्यक समझता है तो वह किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।
- (5) आयोग ऊपर खण्ड (1) या (3) के प्रयोजन के लिए, कार्यवाहियों के ऐसे पक्षकारों द्वारा, ऐसी फीस, लागत और खर्च देने का निदेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय – XIII: प्रकीर्ण

43. निर्णयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन

- (1) आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या संबद्ध व्यक्ति या पक्षकार के आवेदन पर, किसी निर्णय, निदेश या आदेश के पारित होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर ऐसे निर्णय, निर्देश या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे समुचित आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।
- (2) पुनर्विलोकन हेतु आवेदन रीति से प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि याचिका हेतु इन विनियमों के अध्याय-II में उल्लेखित है।
- (3) आवेदन के साथ आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

44. मृत्यु आदि के पश्चात कार्यवाहियों का जारी रहना

- (1) जहां किन्हीं कार्यवाहियों के किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया के रूप में न्याय निर्णित किया जाता है, या किसी कंपनी के मामले में, यदि उसका परिसमापन हो जाता है, वहां कार्यवाहियां संबद्ध पक्षकार के हित के उत्तराधिकारी, के साथ जारी रहेंगी।
- (2) आयोग कारणों का उल्लेख करते हुए कार्यवाहियों को उपशमित हुआ मान सकता है, यदि आयोग ऐसा निदेश दे और हित रखने वाले उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लाने की आवश्यकता से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।
- (3) यदि, कोई व्यक्ति, कार्यवाहियों में हित रखने वाले उत्तराधिकारी को अभिलेख में लाना चाहता है तो वह उक्त घटना जिसके कारण ऐसी आवश्यकता है, के 90 दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा।

परन्तु यदि आयोग का समाधान हो जाता है कि स्वीकृत समयावधि में उक्त आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान है तो आयोग ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, विलंब को क्षमा कर सकता है।

- (4) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (3) में दी गई समयावधि में हित उत्तराधिकारी को अभिलेख में लाने में असफल रहे या हितबद्ध उत्तराधिकारी को अभिलेख में लाने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु खण्ड (3) के प्रावधानों के अधीन दिया गया आवेदन स्वीकार न किया जावे, तब मृत व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा।

45. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला रहना

आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, स्थान की उपलब्धता के अधीन, जनता के लिए खुली रहेंगी।

परन्तु आयोग, यदि वह उचित समझे, उल्लेखित कारणों से किसी विशिष्ट प्रकरण की कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर आदेश कर सकेगा कि आयोग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कमरे या भवन में सामान्य जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहुँच या उनका प्रवेश या उपस्थिति नहीं होगी।

46. याचिका का प्रकाशन

(1) जहां किसी आवेदन, याचिका या अन्य विषय का केन्द्रीय अधिनियम या इन विनियमों के अधीन या आयोग के निदेशों के अनुसार प्रकाशित किया जाना अपेक्षित हो तो वह, जब तक कि आयोग अन्यथा आदेश न दे, ऐसे समय के भीतर जैसा कि आयोग निर्देशित करे और तत् प्रतिकूल किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम 5 दिन पहले विज्ञापित किया जायेगा। यदि आयोग अन्यथा निर्देशित न करे तो इसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों में जिनमें से एक हिन्दी व एक अंग्रेजी समाचार पत्र, जिनका व्यापक प्रसार संबंधित क्षेत्र में हो, किया जायेगा।

(2) प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट आयोग के अधिकारी द्वारा प्रकाशन के पूर्व अनुमोदित किया जायेगा।

47. गोपनीयता

(1) आयोग के अभिलेख, सिवाय उन भागों के, जो आयोग के लिखित कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त हो, निर्धारित शुल्क के भुगतान और ऐसे अन्य निर्बंधनों के पालन पर सभी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए।

(2) आयोग ऐसी शर्तों और निर्बंधनों पर जैसा कि वह उचित समझे, किसी व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध दस्तावेजों और कागजातों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(3) आयोग अपने आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि उसके किन्हीं अधिकारियों, सलाहकारों, प्रतिनिधियों या अन्य के समक्ष प्रस्तुत की गई या अन्यथा उसके आधिपत्य या अभिरक्षा में आई किसी जानकारी, दस्तावेज और अन्य कागजात तथा सामग्रियां गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और निरीक्षण या प्रतियों के प्रदाय के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। आयोग यह भी निदेश दे सकेगा कि ऐसे दस्तावेज, कागजात सामग्रियां किसी भी रीति में, सिवाय आयोग द्वारा विशिष्टतः प्राधिकृत को छोड़कर, उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

48. आदेशों और प्रक्रिया निर्देशों को जारी करना

केन्द्रीय अधिनियम तथा इन विनियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, आयोग, विनियमों तथा विभिन्न मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के क्रियान्वयन, जिन्हें निर्धारित करने आयोग इन विनियमों के अधीन सशक्त है, के संबंध में समय-समय पर आदेश, तथा व्यवहार निर्देश जारी कर सकेगा ।

49. आयोग की अन्तर्निहित शक्ति

- (1) इन विनियमों की कोई बात, आयोग को न्याय के परिणाम तक पहुँचने या उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने हेतु आवश्यक आदेश करने की अन्तर्निहित शक्तियों को, सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं मानी जायेगी ।
- (2) इन विनियमों की कोई बात आयोग को, इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न कोई प्रक्रिया अपनाने से प्रवारित नहीं करेगी, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, इसे आवश्यक या समीचीन माने ।
- (3) इन विनियमों की कोई बात, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आयोग को, केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी मामले के निपटारे या किसी शक्ति के प्रयोग से, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हों, नहीं रोकेगी और आयोग, ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों पर, उस रीति से, जो वह उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा ।

50. संशोधन का सामान्य अधिकार

आयोग, किसी भी समय उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही में मौजूद किसी भी दोष या त्रुटि को सुधार सकता है ।

51. विनियमों की अपेक्षाओं को अभिमुक्त करने की शक्ति

आयोग को, कारणों को अभिलिखित कर और प्रभावित पक्षों को सूचित कर, किसी विशेष प्रकरण या प्रकरणों में किसी भी विनियम की अपेक्षाओं को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन, जिसे वह उचित समझे अभिमुक्त करने की शक्ति होगी ।

52. निर्धारित समय का विस्तार और कमी

केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, इन विनियमों द्वारा अथवा आयोग के किसी अन्य आदेश द्वारा, किसी कार्य के लिए निर्धारित समय को, आयोग के आदेश से, पर्याप्त कारणों के आधार पर, बढ़ाया (चाहे यह पूर्व में ही समाप्त हो गया हो अथवा नहीं) अथवा घटाया जा सकता है ।

53. अपालन का प्रभाव

इन विनियमों की किसी भी अपेक्षाओं के पालन करने की विफलता के कारण ही कोई कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी, जब तक आयोग की दृष्टि में, ऐसी विफलता के परिणाम स्वरूप न्याय विफल न हुआ हो ।

54. व्यय

- (1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई हो, सभी कार्यवाहियों में व्यय एवं आनुषंगिक व्यय आयोग के स्वविवेक से प्रदान किये जाएंगे और उसे यह तय करने का पूरा अधिकार होगा कि किसके द्वारा, किस कोष से और किस सीमा तक इस व्यय का भुगतान किया जावेगा ।
- (2) आदेश के दिनांक से 30 दिन अथवा ऐसी समयावधि के भीतर, जैसा कि आयोग, आदेश द्वारा निर्देशित करें, व्यय का भुगतान किया जायेगा। आयोग के व्यय दिलवाने के आदेश का निष्पादन उसी तरह किया जायेगा, जिस तरह व्यवहार न्यायालय की डिक्री/आदेश का किया जाता है।

55. आयोग के आदेशों का प्रवर्तन

सचिव, आयोग द्वारा पारित आदेशों का, विनियमों एवं केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तन और परिपालन सुनिश्चित करेगा।

56. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में, यदि कोई भी कठिनाई उदभूत होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, कोई भी कार्य, जो केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, कर सकता है, जो उसे रूकावट को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित लगता है।

नोट:— इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव